...हन सिंह राठौर
विधायक
विधानसभा 18 भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
कार्या. : 0777302251...
मोबा. : 088634...
094251...16...

पत्र क्रमांक /ग्वा./18—भितरवार/ 1195 दिनांक 12/11/2024

प्रति,

माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल जी
उपमुख्यमंत्री—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

विषय— मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई श्री सुनील पाराशर की शिकायत के संबंध में ।

माननीय,

विषयांतर्गत निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई में पदस्थ डॉक्टर श्री सुनील पाराशर द्वारा अनियमितायें की जा रही है । जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. मेरे भ्रमण दिनांक 19.07.2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना पर अनुपस्थित डॉक्टर श्री दिवाकर उपाध्याय, एवं कर्मचारी श्री सुरेन्द्र शाक्य के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर से बोला गया था, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई में पदस्थ डॉ. श्री सुनील पाराशर जी द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुये समस्त स्टाफ का वेतन आहरण कर दिया गया है ।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना पर पदस्थ डॉक्टर श्री रवि शर्मा के द्वारा श्री सुरेन्द्र शाक्य स्थापना लिपिक, मोहना से वित्तीय अभिलेख मांगे गये । श्री शाक्य द्वारा बताया गया है कि उक्त अभिलेख डॉक्टर श्री सुनील पाराशर अपने साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई ले गये है । और श्री सुरेन्द्र शाक्य स्थापना लिपिक को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई में मलेरिया निरीक्षक के पद पर अटैच कर लिया । डॉ. श्री रवि शर्मा द्वारा वित्तीय अभिलेख मांगे गये। जबकि श्री सुरेन्द्र शाक्य की मूलपदस्थापना सामुदायिक केन्द्र मोहना है श्री शाक्य का अटैचमेंट निरस्त कर सामुदायिक केन्द्र मोहना भेजा जावें । एवं सभी वित्तीय अभिलेख भी मोहना में जमा करावें ।
3. डॉ. श्री सुनील पाराशर का मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई है पर श्री पाराशर कभी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं और न ही इनके द्वारा कोई ओपीडी में मरीजों को देखा जाता है । एवं प्रशासनिक / ... स्तरीय बैठकों मे भी अनुपस्थित रहते हैं ।
4. डॉ. श्री रवि शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना द्वारा वित्तीय अभिलेख मांगे गये तो श्री सुरेन्द्र शाक्य स्थापना लिपिक द्वारा अजाक थाना ग्वालियर में डॉ. श्री रवि शर्मा की शिकायत की गई है । उक्त कृत्य श्री डॉ. श्री सुनील पाराशर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई के द्वारा करवाया जा रहा है ।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरई, जिला ग्वालियर का प्रभार किसी अन्य डॉक्टर को सौंपने की कृपा करें ।

(मोहन सिंह राठौर)

प्रतिलिपि—

1. श्रीमान् कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मोहन सिंह राठौर)

प्रधान जनसेवा केन्द्र / निवास: ग्रीन हाउस, सिकन्दर कम्पू से अजयपुर रोड, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.) 474001
■ जनसेवा केन्द्र – काली माता मंदिर प्रांगण, भितरवार ■ जनसेवा केन्द्र – चन्द्रलोक परिसर, घाटीगांव
■ जनसेवा केन्द्र – E-136/1, प्रोफेसर कॉलोनी, रवीन्द्र भवन के सामने, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल: ms474001@gmail.com

इति-अ

जांच प्रतिवेदन

माननीय श्री मोहन सिंह राठौर विधायक विधानसभा भितरवार जिला ग्वालियर के द्वारा दिनांक 19.07.24 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहना का निरीक्षण किया गया था निरीक्षण के दौरान उन्हें जो अनियमिततायें/शिकायत मिली थी इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी जांच कमेटी द्वारा कार्यालयीन पत्र कमांक/मीडिया/2024/10290–95 दिनांक 10.12.24 व 10347–48 दिनांक 11.12.24 के अनुसार दिनांक 13.12.24 को तथा कार्यालयीन पत्र कमांक/मीडिया/2024/14798–805 दिनांक 20.12.24 के अनुसार 23.12.24 को कथन हेतु अधिकारी/कर्मचारियों को बुलाया गया था जिस संबंध में डॉक्टर रवि शर्मा मेडीकल ऑफीसर बयान हेतु दिनांक 23.12.24 को उपस्थित हुए एवं डॉ. सुनील पाराशर सीबीएमओ बरई, श्री सुरेन्द्र शाक्य तत्कालीन स्थापना लिपिक (एमपीडब्ल्यू) एवं श्री मनोज बाथम प्रभारी लेखापाल सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए इस हेतु समिति द्वारा दिनांक 31.12.24 को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित में अवगत करा दिया गया था जिसकी प्रति ध्वज 'अ' पर संलग्न है पुनः इस कार्यालय के पत्र कमांक/जांच/2025/1758 ग्वालियर दिनांक 04.02.25 को बुलाया गया जिस पर उक्त तीनों शेष अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुए।

जांच के बिन्दु अनुसार

1. बिन्दु कमांक 1 के अनुसार जांच कमेटी ने यह पाया कि डॉ. दिवाकर उपाध्याय का जुलाई 2024 का वेतन अभी तक आहरित नहीं किया गया है तथा सुरेन्द्र शाक्य एम.पी.डब्ल्यू. दिनांक 19 एवं 20 जुलाई 2024 को सी.एल. पर थे, इस कारण उनका वेतन आहरित किया गया है। उक्त जांच कमेटी ने प्रभारी लेखापाल मनोज बाथम एवं सीबीएमओ बरई के कथन एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसा पाया है। संलग्न मनोज बाथम के कथन एवं प्रभारी सीबीएमओ द्वारा दी गयी उपस्थिति (सीएल वर्णन की छायाप्रति)।
2. बिन्दु कमांक 2 के संबंध में जांच कमेटी का अभिमत है कि जब डॉ. रवि शर्मा द्वारा तत्कालीन स्थापना लिपिक (एम.पी.डब्ल्यू.) श्री सुरेन्द्र शाक्य से वित्तीय अभिलेख मांगें गये थे तो उन्होने सीबीएमओ बरई डॉ. पाराशर के निर्देश पर वित्तीय अभिलेख विकासखण्ड बरई में ऑडिट कराने हेतु जमा करा दिये गये थे साथ ही सीबीएमओ के द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त महोदय का दिनांक 24.03.2022 का पत्र (छायाप्रति) का उल्लेख किया है जिसके तहत संस्थाओं का वित्तीय एवं प्रशासनिक का प्रभार किसी संविदा चिकित्सक को न सौंपा जावे, ऐसा ही बयान सुरेन्द्र शाक्य का भी है। इसी बिन्दु के कम में श्री सुरेन्द्र शाक्य तत्कालीन स्थापना लिपिक एवं एमपीडब्ल्यू को मलेरिया निरीक्षक का प्रभार सीबीएमओ के द्वारा न सौंपते हुये बल्कि सीएमएचओ महोदय के आदेश क./स्थापना/2024/5726 ग्वालियर,दिनांक 03.09.2024 द्वारा सौंपा गया है। छायाप्रति संलग्न है।
3. बिन्दु कमांक 3 के संबंध में जांच कमेटी नें पाया कि सीबीएमओ बरई डॉ. सुनील पाराशर प्रशासनिक पद पर होने से अधिकांश क्षेत्रीय भ्रमण पर रहते हैं एवं ग्राम बरई में अपने सगे भाई की ससुराल में रूकते हैं। इस संबंध में उनके रिश्तेदार श्री दिनेश पटसारिया (मोबाईल नम्बर 9617633468) से दूरभाष पर जानकारी लेने पर उन्होने बताया कि हमारे यहां पटसारिया मौहल्ला बरई में निवास करते हैं तथा अपवाद स्वरूप कुछ बैठकों को छोड़कर अधिकांश बैठकों

17/02/2025 17-02-2025

उप संचालक (विधि) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

(2)

[illegible] अनुपस्थित रहते हैं एवं बैठकों में अनुपस्थिति के लिये कोई कारण बताओ सूचना पत्र एवं चेतावनी पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

4. बिन्दु कमांक 4 के संबंध में जांच कमेटी ने यह पाया कि श्री सुरेन्द्र शाक्य अजाक्स थाना ग्वालियर में डॉ. रवि शर्मा के विरूद्व की गयी शिकायत डॉ. सुनील पाराशर सीबीएमओ बरई के द्वारा नहीं करवाई गयी है। संलग्न साक्ष्यों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा आपसी सामन्जस न होने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई प्रतीत होती है।

अभिमत

शिकायती बिन्दुओं के आधार पर स्थिति प्रतीत होती है कि बिन्दु कमांक 1 के अनुसार डॉ. दिवाकर का उपस्थिति न आने के कारण वेतन नहीं निकाला गया एवं सुरेन्द्र शाक्य 19 एवं 20 जुलाई को सीएल पर होने के कारण वेतन निकाला गया। वहीं बिन्दु कमांक 2 में पाया गया कि वित्तीय अभिलेख सीबीएमओ बरई द्वारा ऑडिट हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर जमा कराये गये जबकि सुरेन्द्र शाक्य एमपीडब्ल्यू मोहना का मलेरिया निरीक्षक पद पर अटैचमेंट सीएमएचओ द्वारा किया गया है। बिन्दु कमांक 3 में डॉ. सुनील पाराशर प्रशासनिक पद पर होने के नाते भ्रमण पर अधिकांश रहते हैं एवं उनको कोई भी कोई भी किसी भी वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी नहीं किया गया तथा डॉ. पाराशर सीबीएमओ अपने सगे भाई के ससुराल में निवास आवश्यकता पढ़ने पर रहते है इस संबंध में उनके रिश्तेदार श्री दिनेश पटसारिया (मोबाईल नम्बर 9617633468) से दूरभाष पर जानकारी लेने पर उन्होने बताया कि हमारे यहां पटसारिया मौहल्ला बरई में निवास करते हैं तथा बिन्दु कमांक 4 के कम में डॉ. रवि शर्मा के विरूद्व अजाक्स थाना में की गयी, शिकायत सीबीएमओ डॉ. पाराशर द्वारा नहीं कराई गयी है बल्कि इन दोनों के आपसी सामन्जस्य न होने से ऐसी स्थिति निर्मित हुयी प्रतीत होती है। (संलग्न:— जांच एवं बयान की प्रतियां— कुल संख्या— 55)

हमारे द्वारा कथन एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिस अनुसार डॉ. सुनील पाराशर, डॉ. रवि शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र शाक्य से पृथक—पृथक स्थान पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री विजय भार्गव,	श्री आई.पी. निवारिया,	डॉ. आर.के. गुप्ता
जिला कार्यकम प्रबंधक	जिला मीडिया अधिकारी,	जिला टीकाकरण अधिकारी,
/जांच अधिकारी	/जांच अधिकारी	/जांच अधिकारी
स्थानीय कार्यालय	स्थानीय कार्यालय	स्थानीय कार्यालय

उप संचालक (विधि) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ग्वालियर